भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *246
06 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न
महाराष्ट्र 'में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

***246. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:**

श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत वितरण तंत्र को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के लिए डिजिटलीकरण और स्वचालन का कितना विस्तार किया गया है;

(ख) क्या महाराष्ट्र की सभी उचित दर की दुकानों (एफपीएस) को 'इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल' (ईपीओएस) उपकरणों से सुसज्जित किया गया है और यदि हाँ, तो ईपीओएस सक्षम दुकानों की जिलेवार स्थिति क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में वर्तमान में आधार प्रमाणित पीडीएस लेनदेन के अंतर्गत कितने प्रतिशत राशन कार्डधारक आते हैं और सरकार द्वारा राज्य के दूरस्थ या जनजातीय क्षेत्रों में इससे छूट गए लोगों को इसमें शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र में एफपीएस स्तर पर खाद्यान्न आवंटन, आवाजाही और वितरण की वास्तविक समय में सटीक निगरानी के लिए 'ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम' लागू किए गए हैं और यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम हैं;

(ङ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में पीडीएस उपभोक्ताओं के लिए शिकायत निवारण पोर्टल या मोबाइल ऐप स्थापित किए हैं और यदि हाँ, तो इन प्रणालियों के माध्यम से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितनी शिकायतों का समाधान किया गया है; और

(च) सरकार द्वारा संपूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने और खाद्यान्नों के विपथन या चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 06.08.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या *246 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): भारत सरकार द्वारा पीडीएस में एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण प्रयास के तहत महाराष्ट्र राज्य में पीडीएस प्रचालन पूरी तरह से डिजिटीकृत है। वर्तमान में, एनआईसी ने पीडीएस प्रचालन को डिजिटल रूप, जिसमें डिजिटल आरसीएमएस, एईपीडीएस के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सहित वितरण प्रणाली और एकीकृत आधार सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (आईएईएससीएम) के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला प्रचालन और खाद्य आबंटन प्रणाली जैसी प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं, में प्रबंधित करने के लिए एक सामान्य अनुप्रयोग प्रणाली विकसित की है। इसके अलावा, स्मार्ट पीडीएस स्कीम के तहत प्रणाली एप्लिकेशन और अवसंरचना को उन्नत किया जा रहा है ताकि राज्य-स्तरीय तकनीकी सीमाओं को दूर किया जा सके और सभी पीडीएस-संबंधित प्रचालनों को कवर करने वाली एक समान प्रणाली तंत्र और केंद्रीय प्रणाली को संस्थागत बनाया जा सके।

(ख): जी हां। महाराष्ट्र राज्य में 52,848 उचित दर दुकानों पर ई-पीओएस उपकरण लगाए गए हैं। जिलावार रिपोर्ट **अनुबंध** में दी गई है।

(ग): वर्तमान में राज्य में लगभग 100% राशन कार्डों को आधार से जोड़ दिया गया है और एनएफएसए स्कीम के अंतर्गत 97.84% खाद्यान्न वितरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से होता है। दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ नेटवर्क की समस्याएं हैं, वहाँ ईपीओएस उपकरणों के माध्यम से ऑफ़लाइन पद्धति का उपयोग करके खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है।

इसके अलावा, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि नेटवर्क/कनेक्टिविटी/लिंकिंग संबंधी समस्याओं, अन्य तकनीकी कारणों या लाभार्थी के खराब बायोमेट्रिक्स की वजह से बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण की विफलता के कारण किसी भी वास्तविक लाभार्थी/परिवार को सब्सिडी वाले खाद्यान्न का पात्र कोटा प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा।

(घ): जी हां, ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रणाली आंशिक रूप से लागू है। खाद्यान्न आबंटन का डाटा वर्तमान में वास्तविक समय में तैयार किया जा रहा है। तथापि, वास्तविक समय में निगरानी के लिए तंत्र अभी भी विकासाधीन है। इसे समर्थन देने के लिए, आईएईएससीएम एप्लिकेशन, जो राज्य में लागू की जा रही समग्र स्मार्ट पीडीएस प्रणाली का हिस्सा है, उचित दर दुकानों (एफपीस) पर खाद्यान्न के संचलन और सुपुर्दगी की वास्तविक समय में निगरानी की अनुमति देता है।

(ड.): जी हां, महाराष्ट्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) लाभार्थियों के लिए शिकायत दर्ज करने हेतु एक ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल www.rcms.mahafood.gov विकसित किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज कराने हेतु अन्य पहल जैसे मेरा राशन मोबाइल ऐप, एनएफएसए पोर्टल और अन्न सहायता (व्हाट्सएप और आईवीआरएस) भी शुरू की हैं। लाभार्थी सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। अप्रैल 2022 से जुलाई 2025 की अवधि के दौरान कुल 34,793 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 30,305 का समाधान कर दिया गया है। शेष 4,488 शिकायतों पर वर्तमान में कार्रवाई चल रही है।

...2/-

(च): प्रौद्योगिकी प्रचालित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के सुधारों के भाग के रूप में, टीपीडीएस में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाने के उद्देश्य से, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्डों/लाभार्थियों के डाटाबेस को पूरी तरह से डिजिटीकृत (100%) कर दिया गया है। पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा/टोल-फ्री नंबर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किए गए हैं। साथ ही, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऑनलाइन आबंटन लागू किया गया है और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, पुददुचेरी और दादरा एवं नगर हवेली के शहरी क्षेत्र को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण स्कीम को अपनाया है) में आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इसके अलावा, देश में 99.7% राशन कार्ड आधार से जुड़े हैं। खाद्यान्न वितरण की बेहतर ट्रैकिंग के लिए, देश में कुल 5.43 लाख उचित दर दुकानों (एफपीएस) में से लगभग 5.41 लाख (99.6%) को ईपीओएस उपकरण संस्थापित कर स्वचालित किया गया है, ताकि लाभार्थियों के बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शी तरीके (इलेक्ट्रॉनिक रूप से) से खाद्यान्न वितरण किया जा सके।

इच्छित लाभार्थियों द्वारा संपर्क करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतों के निवारण और किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन संख्या 1967/1800-राज्य श्रृंखला संख्या सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालनात्मक है। इस विभाग को किसी भी स्रोत से एनएफएसए खाद्यान्नों के दुरुपयोग या चोरी सहित कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर, उन्हें जाँच और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को भेजा जाता है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 06.08.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या *246 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

महाराष्ट्र का जिला-वार एफपीएस विवरण

क्र. सं.	जिला	ई-पीओएस उपकरणों के साथ सक्रिय एफपीएस
1	अहमदनगर	1884
2	अकोला	1061
3	अमरावती	1916
4	ए क्षेत्र परेल	554
5	बीड	1977
6	भंडारा	890
7	बुलढाणा	1536
8	चंद्रपुर	1544
9	छत्रपति संभाजीनगर	1818
10	धाराशिव	1078
11	धुले	987
12	डी क्षेत्र अंधेरी	528
13	ई क्षेत्र वडाला	1018
14	एफ क्षेत्र ठाणे	1458
15	गडचिरोली	1196
16	गोंडिया	998
17	जी क्षेत्र कांदिवली	665
18	हिंगोली	797
19	जलगांव	1990
20	जलना	1280
21	कोल्हापुर	1688
22	लातूर	1351
23	नागपुर डीएसओ	1313
24	नागपुर एफडीओ	683
25	नांदेड	2000
26	नंदुरबार	1083
27	नासिक	2608
28	पालघर	1084
29	परभनी	1182
30	पुणे डीएसओ	1859
31	पुणे एफडीओ	690
32	रायगढ	1450
33	रत्नागिरि	952
34	सांगली	1370
35	सतारा	1716
36	सिंधुदुर्ग	461
37	सोलापुर डीएसओ	1557
38	सोलापुर एफडीओ	314
39	ठाणे	608
40	वर्धा	885
41	वाशिम	775
42	यवतमाल	2044
कुल		**52848**
